

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि, 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे० कुल भूमि 6.450 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर